समाहरणालय, किशनगंज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक............./जि0रा0, दिनांक ..../11/ 2017

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :: वर्ष 2017–18 के लिए अक्टूबर श्रेणी के मेला सैरातों की वन्दोवस्ती हेतु आम सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक किशनगंज जिला अन्तर्गत अक्टूबर श्रेणी के सैरातों की वर्ष 2017–18 के लिए वन्दोवस्ती हेतु आम सूचना की छः प्रतियाँ सी0डी0 सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि संलग्न आम सूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में (जिसमें एक हिन्दी एवं एक उर्दू (कोशी संस्करण) एकान्तर तिथियों में कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– 1. सी0डी0–एक अदद।
2. आम सूचना की प्रति–छः अदद।

विश्वासभाजन,

स मा ह र्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक...1497..../जि0रा0, दिनांक..18.../...11.../ 2017

प्रतिलिपि :: सभी अंचल अधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला को अनुलग्नक की प्रति के साथ वृहत प्रचारार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आई0टी0 मैनेजर, किशनगंज को जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि जनसम्पर्क निदेशालय से संपर्क स्थापित कर दो हिन्दी एवं उर्दू दैनिक समाचार पत्रों के कोशी संस्करण में सैरातों की बन्दोबस्ती से संबंधित आम सूचना प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रकाशित सूचना की कतरन जिला राजस्व प्रशाखा, किशनगंज में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :: जिला नजारत उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अल्पकालीन निविदा सूचना की प्रति एवं सी0डी0 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु एक विशेषदूत प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त, किशनगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज/ जिला मत्स्य पदाधिकारी, किशनगंज को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी समाहर्त्ता, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/17

स मा ह र्त्ता,
किशनगंज।

D/Chatterjee/Shairat/Ashok/Letter.doc

समाहरणालय, किशनगंज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

-:: आम सूचना ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017–18 के लिए किशनगंज जिर अन्तर्गत अक्टूबर श्रेणी के निम्नलिखित राजस्व मेला सैरातों की बन्दोबस्ती दिनांक–27.11.17 द 3.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में डाक की जायगी। निर्धारित तिथि द बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में पुनः वैसे सैरातों के नाम के सामने अंकित तिथि को बन्दोबस्ती द जायेगी :–

क्र0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	अंचल का नाम	डाक की निर्धारित तिथि		
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6	
01	खगड़ा मेला सैरात	4842650.00	किशनगंज	27.11.2017	28.11.2017	29.11.2017
02	अंधासुर महाशिवरात्रि मेला	51750.00	कोचाधामन	27.11.2017	28.11.2017	29.11.2017
03	उत्तर वाहिनी मेला	92575.00	टेढ़ागाछ	27.11.2017	28.11.2017	29.11.2017

डाक की शर्तें निम्न प्रकार है :-

- डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आचरण प्रमाण–पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करन होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमंडल/अंचल/संबंधित नगर निकायों से बकाया रहि प्रमाण–पत्र एवं अंचल अधिकारी से आय प्रमाण–पत्र/ निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जम करना होगा।
- किसी भी मेला लेसी या संकलन अभिकर्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भा लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उनके निकट संबंधी भाई, भतीजा, पुत्र/पुत्री को भी डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा। उपरोक्त मेला सैरातों की बन्दोवस्ती वर्तमान में मेला व जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए की जायगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उत्त जगह के अन्दर ही की जायगी।
- मेला सैरात की जमीन को सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा साफ–सफाई ए पेयजल की सारी व्यवस्था मेला लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और मेला में किस राजनीति सभा नहीं की जायगी।
- सैरात की जमीन पर किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निमार्ण नहीं किया जायेगा। इर सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी।
- ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई ग बही रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिक या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा मेला लेसी को ही करनी होगी।
- बाढ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर मेला नहीं लगने पर बन्दोबस्ती की राशि में किस प्रकार का छूट अनुमान्य नहीं होगा।
- किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा मेला परिसर में अस्थाई/ स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहवी निर्माण नहीं होने दिया जायगा। इसकी जवाबदेही मेला ठेकेदार/बन्दोबस्तदार की होगी।

- संक्रमक रोग या महामारी की स्थिति में मेला लेसी की विशेष जवाबदेही होगी कि वे मेला परिसर में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद बिक्री नहीं होने दे। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।
- अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोबस्ती अस्वीकृत/ रद्द करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
- डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं निर्धारित मुद्रांक शुल्क/ निबंधन शुल्क (बन्दोवस्त राशि का 5% निबंधन शुल्क एवं 5% स्टाम्प शुल्क) डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- मेला सैरात बन्दोवस्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी किशनगंज जिला के वेबसाईट kishanganj.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

18/11/17

स मा ह र्त्ता,
किशनगंज।